तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो ... की तामील मे हुए
17.5.17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान – न्याय आपके द्वार के अटल सेवा केन्द्र रूणाया मानजी मे पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। लोक अदालत नोटिस प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल हो। वकील प्रार्थी की ओर से संशोधित शीर्षक पेश किया गया है। एवं विप्रार्थी वीरमसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र रास्ता नहीं निकालने बाबत पेश की गई है। प्रार्थना पत्र विप्रार्थी सं. 18 व 34 के वारिसान को रिकार्ड पर लेने बाबत कार्यवाही चल रही है। जिस पर बहस सुनी गई। और पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे पाया कि विप्रार्थी सं. 34 के वारिसान पूर्व में ही रिकार्ड पर लिए है। एवं विप्रार्थी सं. 18 के वारिसान को सुनने हेतु रिकार्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विप्रार्थी सं. 18 व 34 के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाता है। संशोधित शीर्षक भी रिकार्ड पर लिया जाता है। वकील प्रार्थी विप्रार्थी क्र. 18/1 का नोटिस पेश करे। पत्रावली वास्ते विप्रार्थी क्र. 18/1 की तामील व बहस हेतु date 31.5.17 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर SDC शिवपुरी	

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/16 कांतप्रसाद / दुर्गाराम वगै.	
31-5-17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में पंचायत मुख्यालय सिलपरी पर2017 पे पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षी नं. 18/1 का नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। जो शामिल पत्रावली किया। विपक्षी नं. 18/1 स्वयं उप.। शेष विपक्षीगण गैरहाजिर। विपक्षी नं. 14, 16 व 36 की ओर से दिनांक 17-5-17 को प्रस्तुत सहमति पत्र स्वीकार करने के आधार पर होने से निरस्त की जाती है। फर्दपत्र की पढ़कर सुनाई गई। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया और शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल कुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर SDC सिलपरी	विक्रम ... विपक्षी 18/1

आदेश

दिनांक–31.5.2017

1.संक्षेप मे आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा स. 447/49' रकबा 43 बीधा भूमि ग्राम सणपा मानजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी मे अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स.1 से 37 के खसरा स.334 रकबा 144–16 बीधा भूमि आये हुए है। प्रार्थी को सड़क तक आवागमन के लिए विप्रार्थी स.1 से 37 के उक्त खसरो मे से चल रहे कदीमी प्रचलित रासते से होकर गुजरना पडता है। विप्रार्थी बरसात के मौसम मे उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थी के सड़क तक आने जाने मे समस्या हो जाती है। क्योकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम सोढो की ढाणी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खसरा स.334 रकबा 144–16 बीधा की रास्ते के रूप मे प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकार्ड मे सरकारी खाते मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजूद सुचना के हाजिर नही होने पर इनके विरूद एकरतफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। एवं राजस्व लोक अदालत अभियान केम्प ग्राम पंचायत सणपा मानजी मे भी विप्रार्थीगण को उपस्थित होने बाबत दुबारा नोटिस जारी किये गये थे। नियत केम्प मे विप्रार्थी स.14,16,36 की ओर से प्रार्थना पत्र रास्ता नही निकालने बाबत पेश की गई। शेष विप्रार्थीगण बावजुद सुचना के हाजिर नही हुई है,और उनके विरूद्व पूर्व मे ही एकतरफा कार्यवाही पारित हो चुकी है।

3.वकील प्रार्थी ने दस्तावेजात मे ग्राम सणपा मानजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 447/49 रकबा 43 बीधा भूमि की जामाबंदी संवत 2026–2071, एवं ग्राम सोढो की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 334 रकबा 144–16 बीधा की जमाबंदी सवंत 2070 से 2073 एवं रास्ते के

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

सहायक कलक्टर
SDC सिणधरी

Scanned by CamScanner

प्रस्तावित रूट के खसरो का नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया। तहसीलदार सिणधरी से आवेदन के तथ्यो के सम्बन्ध मे मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हए कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा स.447/49' रकबा 43 बीधा भूमि ग्राम सणपा मानजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी मे अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स.1 से 37 के खसरा स.334 रकबा 144–16 बीधा भूमि आये हुए है। प्रार्थी को सड़क तक आवागमन के लिए विप्रार्थी स.1 से 37 के उक्त खसरो मे से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पडता है। विप्रार्थी बरसात के मौसम मे उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थी के सड़क तक आने जाने मे समस्या हो जाती है।,क्योकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रेषित मौका जांच रिपोर्ट मे भी उक्त विप्रार्थीगण की खातेदारी खसरो मे ही रास्ता प्रस्तावित किया गया है,जो सुविधा को मध्यनजर रखते हुए सही प्रस्तावित किया गया है। अतः उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज किया जावे। प्रार्थी रास्ते मे जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी स.1 से 37 को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

5. विप्रार्थी स.14,16 व 36 की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशंय का पेश किया गया था। कि हमारी खातेदारी भूमि खसरा सख्या 334 रकबा 144–16 बीधा भूमि मे से जबरदस्ती रास्ता निकाल रहे है। जो हामरी खातेदारी भूमि से रास्ता नही निकाला जावे।

6. **हमने** वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन मे मुख्य इस्तदुआ यह चाही गई है,कि ग्राम सणपा मानजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा स.**447/49' रकबा 43 बीधा** भूमि से होकर सरकारी कटाण मार्ग तक आने जाने के लिए विप्रार्थी स.1 से 37 की खातेदारी भूमि खसरा

सहायक कलक्टर
SDC सिणधरी

Scanned by CamScanner

स **344 रकबा 144–16 बीघा** मे चल रहे कदीमी रास्तो को गैर मुमकिन रास्ता मे दर्ज करते हुए प्रार्थी का रास्ता दिलाया जावे। तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा स.447/49' रकबा 43 बीघा को कटाण से जोड़ने के लिए खसरा स.344 रकबा 144–16 बीघा यह निकटतम व सर्वापयुक्त विकल्प है। उक्त खसरो मे रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत से राजकीय कटाण मार्ग तक पंहुचने का अन्य कोई विकल्प विधमान नही है। उक्त प्रस्तावित रास्ता पक्षकारान की सुविधा को ध्यान मे रखते हुए तैयार किया गया है। एवं विप्रार्थी स. 14,16 व 36 की ओर से दिनांक 17.5.2017 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे कोई सारभूत तथ्य निहित नही होने के कारण आपर्ति खारिज की जाती है। क्योकि उन द्वारा केवल मात्र प्रार्थना पत्र मे यह उल्लेखित किया कि,खेत खसरा संख्या 344 मे से रास्ता नही निकाला जावे। जबकि इसके सबंध मे ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया,कि रास्ता किसी कारण नही निकाला जावे। केवल मात्र आधारहीन तर्क पर प्रार्थना पत्र पेश की गई। जिसका कोई विधिक तर्क नही बनता है। जबकि तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट अंकित किया गया है। कि प्रार्थी को आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते की अति आवश्यक है,और प्रस्तावित रास्ता ही अंतिम विकल्प रास्ता है। इससे साबित होता है। कि प्रार्थी को आने जाने हेतु गंभीर कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है,और यदि प्रस्तावित रास्ता नही मिलता है,तो प्रार्थी को भविष्य मे विकट कठिनाईयो का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण प्रार्थी प्रस्तावित रास्ता पाने का हकदार है। एवं विप्रार्थी स.14,16 व 36 को छोड़कर शेष विप्रार्थीगण बावजुद सुचना के हाजिर नही हुए है,इससे प्रतीत होता है कि उक्त विप्रार्थीगण को प्रार्थी के आवेदन पत्र की जानकारी है और रास्ता निकालने सबंधी उनकी मौन स्वीकृति भी है। इस प्रकार प्रार्थी प्रस्तावित रास्ता पाना का हकदार है। एवं रिपोर्ट के अनुसार खसरा स.334 रकबा 144–16 बीघा मे प्रस्तावित रकबा 0–18 बिस्वा है, उक्त खसरो की डी.एल.सी दर **20820**/रूपये प्रति बीघा की है। नियमानुसार रास्ते मे प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थी से दिलवाने जाने का प्रावधान है। इस प्रकार विप्रार्थी स.1 से 37 को खसरा स.334 रकबा 144–16 बीघा भूमि मे से प्रस्तावित रकबा 0–18 बिस्वा भूमि के लिए **37,476/–अक्षरे सैतीस हजार चार सौ छियोतर रूपये** का भुगतान

सहायक कलं.
SDC सिणधरी

Scanned by CamScanner

किया जाना है। उपयुर्क्त विवेचन से स्पष्ट है, कि प्रार्थी को रास्ते की अपरिहार्य आवश्यकता है तथा उक्त रास्ता प्रार्थी के लिए अपने खेत से सड़क तक पहुंचने का इकलौता एवं सुविधाजनक विकल्प है तथा प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है और तहसीलदार सिणधरी द्वारा भी अभिशषा की गई है।

7. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर **ग्राम सणपा मानजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी** तहसील सिणधरी की खसरा स.**447/49 रकबा 43 बीघा भूमि से सड़क तक आवागमन हेतु ग्राम सोढो की ढाणी तहसील सिणधरी की खसरा स.334 रकबा 144–16 बीघा** मे **से मौका रिपोर्ट के सलंग्न नक्शे मे बरंग —(डेस लाल पेन से**) से दरसाये अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी स.1 से 37 को खसरा स.334 रकबा 144–16 बीधा भूमि मे से प्रस्तावित रकबा 0–18 बिस्वा भूमि के लिए **37,476/—अक्षरे सैतीस हजार चार सौ छियोतर रूपये** मात्र तहसील कार्यालय सिणधरी मे संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष मे जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिणधरी **को ग्राम सोढो की ढाणी की खेत खसरा स.334 रकबा 144–16 बीघा भूमि मे से प्रस्तावित रकबा 0–18 बिस्वा** का रास्ते मे जाने वाली भूमि का राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी के पत्र कमांकः—भू. अ./17/— दिनांक 12.4.2017 प्रेषित मौका रिपोर्ट के सलंग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(नाथूसिह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 31/5/17 को मजमे आम सुनाया गया।

(नाथूसिह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Scanned by CamScanner